नगर निगम भिलाई क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्यवाही जारी

भिलाईनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर में जोन कार्यालय के समीप स्थित हुंडई शोरूम पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। आबंटित क्षेत्र पर निर्माण कर लेने के अतिरिक्त रोड के जगह पर अतिक्रमण कर गाड़ियो की पार्किंग की जा रही थी। रोड से शोरूम तक जाने के लिए लम्बा चौंडा पाथवे बना लिया गया था, उसे जोन के राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने अपनी तोड़फोड़ दस्ता के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को खाली करवाये। संबंधित को चेतावनी दी गई उपरोक्त स्थल पर अन्य कोई अतिरिक्त पाथवे नहीं बनाया जायेगा। यह शासन की सड़क है, इसे सड़क ही रहने दिया जाये। इसी तारतम्य मे अरिहंत स्टील के द्वारा 20 फिट से अधिक का विज्ञापन बोर्ड रोड पर लगाया गया था, उसे भी हटाया गया। सनद रहे कि संस्थाओ द्वारा शोरूम या दुकान बनाते समय अपने पुरे आबंटित जमीन पर निर्माण कर लिया जाता है। बाद में चोरी छिपे शासकीय सड़क पर अवैध कब्जा करके पार्किंग स्थल बना दिया जाता है। जिसके कारण आवागमन में बाधा पहुचती है और दुर्घटनाओ की संभावना बनी रहती है। यह सब देखते हुए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। अतिक्रमण हटाने कार्यवाही के ही तारतम्य में बैकुण्ठधाम में भी किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को रोका गया। कार्यवाही के दौरान नगर निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता, दिनेश बेलचंदन, कन्हैया यादव, मंगल जांगड़े, राजेन सिंह, विष्णु सोनी, गौरकरण कुर्रे, खेमराज आदि उपस्थित रहे।